

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ 21(1)(321)पूल/आईसीडीएस/19/पार्ट-ii 56133 जयपुर, दिनांक: 19-4-22

आदेश

भारत सरकार के आदेश संख्या प.9-3/2008-सीडी-III दिनांक 13-07-09 व 17-01-2013 एवं 19.07.2018 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-2023 (दिनांक 28.02.2023 तक) के लिए आईसीडीएस सामान्य के अन्तर्गत निम्नलिखित शहरी बाल विकास परियोजना कार्यालयों के लिए किराये के वाहन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम जिला	नाम परियोजना	किराये के वाहनों की संख्या
1	अजमेर	ब्यावर सिटी	एक
2	अजमेर	किशनगढ सिटी	एक
3	अजमेर	अजमेर सिटी	एक
4	बांसवाडा	बांसवाडा सिटी	एक
5	बाडमेर	बाडमेर सिटी	एक
6	भरतपुर	भरतपुर सिटी	एक
7	बीकानेर	बीकानेर सिटी	एक
8	चूरु	चूरु सिटी	एक
9	हनुमानगढ	हनुमानगढ सिटी	एक
10	जयपुर	सांगानेर सिटी	एक
11	जयपुर	जयपुर I	एक
12	जयपुर	जयपुर II	एक
13	जयपुर	जयपुर III	एक
14	जोधपुर	जोधपुर सिटी	एक
15	कोटा	कोटा सिटी	एक
16	उदयपुर	उदयपुर सिटी	एक

1.वाहन किराये पर लेने एवं किराये के भुगतान सम्बन्धी समस्त कार्यवाही वित्त विभाग के परिपत्र एफ.2(4)एफडी/SPFC/2017/दिनांक 19.07.2018के अनुसार सुनिश्चित करें, साथ ही भारत सरकार के नॉर्मस (राशि 02.50 लाख प्रतिवर्ष/प्रति कार्यालय की सीमा में) के अनुसार ही व्यय किया जावे।

2.वाहनों का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्देशित प्रोग्राम के लिए ही किया जावेगा तथा डीडी/सीडीपीओ का पद रिक्त होने पर किराये का वाहन नहीं लिया जावेगा। एवं अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति में भी किराये का वाहन अनुज्ञेय नहीं होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 162200599 दिनांक 19-04-2022 के अनुसरण में जारी किये गये है।

19-4-22

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(1)(321)पूल/आईसीडीएस/19/पार्ट-ii 58734-50 जयपुर, दिनांक: 19-4-22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....।
- 4 शहरीबाल विकास परियोजना अधिकारी,.....।
- 5 एसीपी(मुख्यालय) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 6 आदेश पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी पूल
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।